भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता और विनियामक आयाम

Quality and Regulatory Dimensions of Teacher Education in India

भारत में शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) की गुणवत्ता और विनियामक आयाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है और शिक्षा की गुणवत्ता सीधे तौर पर शिक्षकों की क्षमता से जुड़ी होती है। भारत में शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) एक व्यापक प्रणाली है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को शैक्षणिक सिद्धांतों, शिक्षण विधियों और व्यावहारिक अनुभवों से लैस करना है। कोठारी आयोग (1964-66) ने सही कहा था, "भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है।" **भारत में शिक्षक शिक्षा का विनियमन एक सुव्यवस्थित कानूनी ढांचे के अंतर्गत होता है:**

1. विनियामक ढांचा (Regulatory Framework)

भारत में शिक्षक शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित निकाय और कानून जिम्मेदार हैं:

- **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE): यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जिसे 'NCTE अधिनियम, 1993' के तहत स्थापित किया गया। इसका मुख्य उत्तरदायित्व शिक्षक शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना,** शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना, **नए संस्थानों को मान्यता देना और पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना है।**

  क्षेत्रीय समितियां: NCTE की चार क्षेत्रीय समितियां (पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी) हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने और उनके कामकाज की निगरानी करने का कार्य करती हैं।

- **भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI): विशेष शिक्षा (Special Education) के क्षेत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण और गुणवत्ता का विनियमन RCI द्वारा किया जाता है।**
- **NCERT और SCERT: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ये परिषदें शिक्षक शिक्षा के लिए शैक्षणिक समर्थन, शोध और पाठ्यचर्या विकास (जैसे NCFTE 2009) में मदद करती हैं।**
- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC): विश्वविद्यालयों के भीतर चलने वाले शिक्षक शिक्षा विभागों के शैक्षणिक मानकों और वित्त पोषण का प्रबंधन करता है।**

2. गुणवत्ता के प्रमुख आयाम (Dimensions of Quality)

शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता केवल डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई व्यापक आयाम हैं:

- **पाठ्यचर्या (Curriculum):** इसमें विषय ज्ञान (Content Knowledge) और शिक्षण कौशल (Pedagogical Skills) का सही संतुलन होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में 21वीं सदी के कौशल और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) को शामिल करना अनिवार्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं है। इसमें **NCFTE (National Curriculum Framework for Teacher Education)** के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है, जो रटंत प्रणाली के बजाय 'सीखने के लिए सीखने' (Learning to Learn) पर जोर देता है। इसमें डिजिटल साक्षरता, समावेशी शिक्षा और मनोवैज्ञानिक समझ शामिल हैं।
- **व्यावसायिक मानक (NPST):** 'शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers) यह परिभाषित करते हैं कि एक शिक्षक से विभिन्न चरणों (बुनियादी, प्रारंभिक, माध्यमिक) में क्या अपेक्षा की जानी चाहिए।
- **पूर्व-सेवा प्रशिक्षण (Pre-service Training):** बी.एड. (B.Ed.), डी.एल.एड. (D.El.Ed.) और एम.एड. (M.Ed.) जैसे कार्यक्रमों की गुणवत्ता के लिए इंटर्नशिप को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि प्रशिक्षु शिक्षक वास्तविक कक्षा के वातावरण को समझ सकें।
- **सेवाकालीन व्यावसायिक विकास (In-service Development):** शिक्षा जगत में हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कार्यरत शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण (CPD) आवश्यक है। दीक्षा (DIKSHA) और निष्ठा (NISHTHA) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विश्व के सबप्रशिक्षण संस्थानों में सेशिक्षक प्रशिसंस्थानों में से में एक हैं।
- **संस्थागत बुनियादी ढांचा**
- गुणवत्ता के लिए योग्य शिक्षक प्रशिक्षक (Teacher Educators), समृद्ध पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और ICT संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्य आयाम हैं।

3. प्रमुख चुनौतियाँ (Key Challenges)

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कुछ गंभीर बाधाएं भी हैं:

श्रेणी	चुनौती का विवरण
संस्थानों की भरमार	देश में निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (B.Ed. कॉलेज) की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिनमें से कई केवल 'डिग्री बेचने' वाली संस्थाएं बनकर रह गई हैं।
प्रशिक्षण की कमी	कई संस्थानों में बुनियादी ढांचे और योग्य संकाय (Faculty) की भारी कमी है।
गैर-शिक्षण कार्य	सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अक्सर गैर-शैक्षणिक कार्यों (जैसे जनगणना, चुनाव ड्यूटी) में लगा दिया जाता है, जिससे उनके व्यावसायिक विकास पर असर पड़ता है।
अलगाव (Isolation)	शिक्षक शिक्षा अक्सर मुख्यधारा के विश्वविद्यालयों से अलग-थलग रही है, जिससे व्यापक शैक्षणिक अनुभव की कमी रहती है।

4. NEP 2020 के तहत सुधार के कदम

गुणवत्ता सुधारने के लिए NEP 2020 ने शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता और नियमन में क्रांतिकारी बदलावों का प्रस्ताव दिया है:

1. **ITEP (Integrated Teacher Education Programme):** 2030 तक 4-वर्षीय एकीकृत बीएड (B.A. B.Ed. या B.Sc. B.Ed.) को न्यूनतम योग्यता बनाया जा रहा है ताकि छात्र स्कूल के बाद ही शिक्षक बनने का लक्ष्य तय कर सकें।
2. **बहु-विषयक दृष्टिकोण:** 2030 तक सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक (Multidisciplinary) संस्थानों में बदलना अनिवार्य होगा।
3. **National Mission for Mentoring (NMM):** अनुभवी शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा नए शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है।
4. **NPST (राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक):** शिक्षकों के लिए उनके करियर के विभिन्न स्तरों (प्रारंभिक, कुशल, विशेषज्ञ, नेतृत्व) के लिए मानक तय किए जाएंगे।
5. **प्रवेश परीक्षा:** शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है।

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय

- **सख्त मान्यता प्रक्रिया:** NCTE को मान्यता देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सख्ताई लानी चाहिए। 'परफॉरमेंस अप्रेजल रिपोर्ट' (PAR) का नियमित मूल्यांकन होना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** दीक्षा (DIKSHA) पोर्टल जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार।
- **अनुसंधान और नवाचार:** शिक्षक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान (Action Research) को बढ़ावा देना।

भारत में शिक्षक शिक्षा अब एक "विनियमन-प्रधान" (Regulation-heavy) मॉडल से "गुणवत्ता-प्रधान" (Quality-driven) मॉडल की ओर बढ़ रही है। NCTE के सख्त नियमों और NEP 2020 के दूरदर्शी सुधारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वे ही लोग शिक्षक बनें जो वास्तव में इस पेशे के प्रति प्रतिबद्ध और दक्ष हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE)

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई, 1995 को हुई थी। इसका कार्य पूरे भारत में शिक्षक शिक्षा में सुधार और प्रबंधन करना है। परिषद यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम विशिष्ट मानकों और दिशानिर्देशों को पूरा करें, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षकों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। एनसीटीई पाठ्यक्रम तैयार करने, मानक निर्धारित करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

एनसीटीई 1993 के अधिनियम के तहत कार्य करता है और शिक्षक शिक्षा की समग्र प्रक्रिया के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह शिक्षक प्रशिक्षण के व्यापक दायरे की देखरेख करता है, जिसमें पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा शामिल है। औपचारिक शिक्षा के अलावा, परिषद वयस्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल शिक्षकों के साथ भी काम करती है।

एनसीटीई के प्रमुख लक्ष्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक शिक्षा सुव्यवस्थित हो और देश के सभी हिस्सों तक पहुंचे। इसमें अनुसंधान प्रदान करना, प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना और ऐसी नीतियां बनाना शामिल है जो शिक्षकों को उनके करियर के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करें।

एनसीटीई की उत्पत्ति

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की स्थापना 1993 के राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम के तहत 1995 में की गई थी। इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, एनसीटीई की

भूमिका एक ऐसी प्रणाली विकसित करना और लागू करना है जो यह सुनिश्चित करे कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले उच्च शिक्षा संस्थान मान्यता के लिए राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि एनसीटीई उन दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है जिनका पालन शिक्षक शिक्षा संस्थानों को अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखने और मान्यता के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करने के लिए करना चाहिए।

वर्ग	विवरण
संगठन	भारत में शिक्षक शिक्षा को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जिम्मेदार निकाय है।
पूरा नाम	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
स्थापित वर्ष	इसकी स्थापना 1973 में देश भर में शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार और मानकीकरण करने के लिए की गई थी।
के तहत काम करता है	एनसीटीई मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अधीन काम करता है, जो शैक्षिक नीतियों का प्रबंधन करता है।
पर आधारित	इसका गठन शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफारिशों के बाद किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में सुधार करना था।
मुख्य उद्देश्य	इसका मुख्य उद्देश्य भारत भर में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करना है, साथ ही शिक्षा प्रणाली में संबंधित चुनौतियों का समाधान करना भी है।
विधान	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के तहत एनसीटीई की औपचारिक रूप से स्थापना की गई और इसे 17 अगस्त 1995 को पारित किया गया।
प्रधान कार्यालय	मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन एनसीटीई क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भी कार्य करता है।
क्षेत्रीय कार्यालय	इसके क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर जैसे शहरों में स्थित हैं, जो स्थानीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा की देखरेख में सहायता करते हैं।

एनसीटीई के कार्य

1. अनुसंधान और सर्वेक्षण

एनसीटीई शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण और शोध अध्ययन आयोजित करता है, जिसका उद्देश्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और निष्कर्षों को साझा करना है।

2. सरकारी निकायों को सलाह देना

यह परिषद केंद्र और राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों को शिक्षक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम सुझाती है, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण में नीतियों को आकार देने में मदद मिलती है।

3. निगरानी और समन्वय

जिस प्रकार एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा की देखरेख करता है, उसी प्रकार एनसीटीई पूरे भारत में शिक्षक शिक्षा विकास का प्रबंधन और समन्वय करता है।

4. शिक्षक योग्यता निर्धारित करना

यह परिषद शिक्षकों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताओं पर दिशानिर्देश प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षण पेशेवर निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं।

5. पाठ्यक्रम की आवश्यकताएँ

एनसीटीई विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानक निर्धारित करता है, जैसे कि प्रवेश आवश्यकताएं, उम्मीदवार चयन विधियां, पाठ्यक्रम की अवधि, सामग्री और संरचना, जिससे संस्थानों को एक सामान्य ढांचा अपनाने में मदद मिलती है।

6. नए पाठ्यक्रमों और सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश

नए पाठ्यक्रम शुरू करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए, परिषद गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भौतिक सुविधाओं, शिक्षण संसाधनों, कर्मचारियों और संकाय योग्यता के संबंध में निर्देश प्रदान करती है।

7. शिक्षा मानक

परिषद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यकताएं निर्धारित करती है, जिसमें परीक्षाओं के लिए पात्रता और कार्यक्रम संरचनाएं शामिल हैं, जिससे संस्थानों में शिक्षा की एक समान गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

8. शुल्क दिशानिर्देश

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों को भी विनियमित करता है, जिससे शिक्षा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने में मदद मिलती है।

9. नवाचार को प्रोत्साहन देना

यह परिषद शिक्षक शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान का समर्थन करती है और इस क्षेत्र में हुई प्रगति को साझा करने के लिए परिणामों को प्रकाशित करती है।

10.मानकों की समीक्षा

एनसीटीई नियमित रूप से इस बात की समीक्षा करता है कि मान्यता प्राप्त संस्थान उसके दिशानिर्देशों का किस प्रकार पालन कर रहे हैं और इन मानकों को पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए सलाह प्रदान करता है।

11.व्यावसायीकरण को रोकना

शिक्षक शिक्षा की गरिमा को बनाए रखने के लिए, परिषद इसके व्यवसायीकरण को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करती है।

12.प्रदर्शन मूल्यांकन

एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अपने मानकों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड और तंत्र के साथ-साथ एक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करके जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एवं एनईपी 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने शिक्षा के दृष्टिकोण को नया रूप देने के लिए कई समायोजन पेश किए, विशेष रूप से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (टीईआई) पर इसका प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने इन संस्थानों को एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप ढालने में मदद करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी ली है ।

इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एनसीटीई) का लक्ष्य 2030 तक बहुविषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों (टीईआई) को धीरे-धीरे एकीकृत करना है। यह परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से होगा, जिसका उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण के दायरे को व्यापक बनाना है। इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) स्थापित करना है, जिसे एनसीटीई ने शिक्षकों के लिए उन कौशलों और योग्यताओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाया है जिन्हें उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ते हुए विकसित करना

चाहिए। ये मानक शिक्षकों के विकास में सहयोग देने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि शिक्षकों के पास कक्षा की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन हों।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
(NAAC - National Assessment and Accreditation Council)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC - नैक) भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन और मान्यता (Accreditation) करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।

NAAC की मुख्य भूमिका (Role)

नैक का मुख्य उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में **'गुणवत्ता'** को एक अनिवार्य घटक बनाना है। इसकी प्रमुख भूमिकाएं निम्नलिखित हैं:

- **गुणवत्ता मानक निर्धारित करना:** उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) के लिए प्रदर्शन और गुणवत्ता के मानदंड तय करना।
- **प्रत्यायन (Accreditation) प्रदान करना:** कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन कर उन्हें ग्रेड (जैसे A++, A, B आदि) प्रदान करना, जिससे उनकी साख का पता चलता है।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** संस्थानों को अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए जवाबदेह बनाना।

NAAC के कार्य (Functions)

नैक निम्नलिखित सात मुख्य मानदंडों (Criteria) के आधार पर संस्थानों का आकलन करता है:

- **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार (Quality Enhancement):** उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण, सीखने और अनुसंधान (Research) की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित करना।
- **मानदंडों को निर्धारित करना (Setting Quality Standards):** NAAC सात प्रमुख मानदंडों के आधार पर संस्थानों का आकलन करता है, जिनमें पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम, अनुसंधान, बुनियादी ढाँचा, छात्र सहायता और शासन (Governance) शामिल हैं।

- **स्व-मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना (Promoting Self-evaluation):** संस्थानों को आत्म-मूल्यांकन, जवाबदेही और नवाचार (Innovation) के लिए प्रेरित करना।
- **आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना**: मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए IQAC की स्थापना करना एक अनिवार्य कार्य है, जो निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है।
- **गुणवत्ता अनुसंधान और प्रशिक्षण:** गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- **डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा:** शिक्षा में आईसीटी (ICT) का उपयोग और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल संसाधनों को प्रोत्साहन देना।
- **संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन:** उच्च शिक्षा संस्थानों या उनके विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करना।
- **परामर्श सेवाएँ:** शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना और परामप्रदान करनाना।

मूल्यांकन के आधार (Criteria for Assessment)

नैक की ग्रेडिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से इन **सात पहलुओं** पर टिकी होती है:

- पाठ्यचर्या (Curriculum) के पहलू।
- शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन।
- अनुसंधान, नवाचार और विस्तार।
- बुनियादी ढांचा और सीखने के संसाधन।
- छात्र सहायता और प्रगति।
- शासन, नेतृत्व और प्रबंधन।
- संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएं (Best Practices)।

NAAC का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को परिभाषित करना, सुनिश्चित करना और उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

प्रश्न 1. भारत में शिक्षक शिक्षा के नियमन के लिए प्रमुख वैधानिक निकाय कौन-सा है?

(a) UGC

(b) NCTE

(c) NCERT

(d) NAAC

प्रश्न 2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है?

(a) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

(b) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956

(c) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993

(d) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

प्रश्न 3. विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता का विनियमन कौन करता है?

(a) RCI

(b) SCERT

(c) NAAC

(d) NTA

प्रश्न 4. शिक्षक शिक्षा में पूर्व-सेवा प्रशिक्षण (Pre-service Training) का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

(a) केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना

(b) केवल परीक्षा की तैयारी कराना

(c) शिक्षकों को व्यावहारिक एवं शिक्षण संबंधी अनुभव प्रदान करना

(d) केवल प्रशासनिक कार्यों का प्रशिक्षण देना

प्रश्न 5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुसार 2030 तक शिक्षक बनने के लिए प्रस्तावित न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता क्या है?

(a) एक वर्षीय बी.एड.

(b) दो वर्षीय डी.एल.एड.

(c) चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम

(d) केवल स्नातक की उपाधि

प्रश्न 6. उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन एवं प्रत्यायन करने वाली संस्था कौन-सी है?

(a) NCTE

(b) NAAC

(c) RCI

(d) NTA

प्रश्न 7. शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD) में कौन-सा तत्व सहायक है?

(a) केवल वार्षिक परीक्षा

(b) प्रशिक्षण से दूरी बनाए रखना

(c) केवल पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन

(d) नियमित प्रशिक्षण एवं डिजिटल शिक्षण मंचों का उपयोग

भाग-2: चर्चा-आधारित प्रश्न (Discussion-Type Questions)

1. भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की भूमिका एवं प्रमुख कार्यों की चर्चा कीजिए।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के संदर्भ में भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रस्तावित प्रमुख सुधारों का विश्लेषण कीजिए।

3. भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों की विवेचना कीजिए तथा गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रभावी उपाय सुझाइए।